समाचार

राज्य शासन का जनकल्याणकारी निर्णय

निगम क्षेत्र के वार्डो हेतु खोले जाएंगे वार्ड कार्यालय

(02 अक्टूबर से होगा शुभारंभ, आयुक्त श्री राहुल देव ने शासन के निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जोन कमिश्नरों को दिए निर्देश)

कोरबा 25 सितम्बर 2019 –राज्य शासन के आदेशानुसार समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के वार्डो हेतु वार्ड कार्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों के साथ–साथ नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में भी 02 अक्टूबर 2019 से वार्ड कार्यालय का शुभारंभ होगा। आयुक्त श्री राहुल देव ने जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए है कि राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप वार्ड कार्यालय खोले जाने के संबंध में त्वरित रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

राज्य शासन की मंशा है कि सुशासन के दृष्टिकोण से स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाए तथा उनकी समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर निकाय के अधिकारियों द्वारा किया जाए, ताकि नागरिकों को निकाय में अपने कार्य के संबंध में बार–बार जाने की आवश्यकता नहीं रहे। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि निकाय अपने क्षेत्र के वार्डो हेतु वार्ड कार्यालय खोलने की कार्यवाही त्वरित रूप से सुनिश्चित करें। राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में आयुक्त श्री राहुल देव ने नगर पालिक निगम कोरबा के समस्त जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए है कि वे शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप निगम क्षेत्र में वार्ड कार्यालय खोलने की कार्यवाही समयसीमा में पूरी किया जाना सुनिश्चित करें।

निगम में 02 वार्डो के क्लस्टर में होंगे वार्ड कार्यालय– निर्देशानुसार 03 लाख से अधिक आबादी के नगर पालिक निगमों में 02–02 संलग्न वार्डो के क्लस्टर तैयार कर उनमें 01–01 वार्ड कार्यालय खोला जाएगा। इस प्रकार नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में 02–02 वार्डो का क्लस्टर तैयार किया जाएगा तथा इन क्लस्टरों में वार्ड कार्यालय खोले जाएंगे। निर्देशानुसार वार्ड कार्यालयों के लिए स्थल का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि निकाय के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय जिस वार्ड में स्थित हैं, उन वार्डो के वार्ड कार्यालय यथा मुख्य कार्यालय/जोन कार्यालय में ही खोले जाने की पृथक से व्यवस्था की जाएगी।

वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराई जाने वाली नागरिक सेवाएं–वार्ड कार्यालय में साफ–सफाई, सड़कों, नाली–पुलिया का संधारण, स्ट्रीट लाईट संधारण, उद्यानों एवं सामुदायिक भवनों की साफ–सफाई, पाईप लाईन के लिंकेज संधारण, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से संबंधित एवं अन्य शिकायत तथा सुझाव दर्ज करा सकेंगे। नागरिकों को सेवाएं लोक सेवा गारंटी नियम, सिटीजन चार्टर में नियत समयसीमा में प्रदान की जाएगी। निकाय से संबंधित समस्त आवेदन वार्ड कार्यालयों में स्वीकार किए जाएंगे। वार्ड कार्यालय में नागरिक सम्पत्तिकर का स्वनिर्धारण, विभिन्न करों एवं उपभोक्ता शुल्क का भुगतान आदि कार्य कर सकेंगे। नागरिकों की मांग पर प्रति पेज 05 रूपये की दर से पोर्टल से प्रमाण पत्र, आवेदन की कापी, रसीद आदि प्रदान किए जाएंगे। वार्ड कार्यालय में निकाय द्वारा जारी की जाने वाली दुकान पंजीयन, भवन अनुज्ञा, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र, शासन की लाभकारी योजनाओं के तथा अन्य आवेदन आदि प्राप्त कर विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, उनका निराकरण निर्धारित समयअवधि में किया जाएगा तथा अनुज्ञा, अनुमति पत्र वार्ड कार्यालयों के माध्यम से वार्ड में ही वितरित किए जाएंगे। इन वार्ड कार्यालयों में राज्य शासन एवं निकाय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं समसामयिक विषयों जैसे रैनवाटर हार्वेस्टिंग आदि की जानकारी स्थानीय नागरिकों को प्रदान की जाएगी, साथ ही विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण भी वार्ड कार्यालय से किया जाएगा। वार्ड कार्यालयों में निदान 1100 की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक वार्ड कार्यालयों को गुगल मैप में जियो टैग किया जाएगा, जिससे आमनागरिकों को वार्ड कार्यालय खोजने में सुविधा हो।